तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **विपुल सोनी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 61/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-04-2022	अपीलार्थी विपुल सोनी, पता गोकुल निवास के आगे, पुरबियों का बास, उम्मेद चौक जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.01.22 में ग्राम गेवा तहसील जोधपुर में वनखण्ड बड़ा भाखर पहाड़ी पर स्थित सिद्धनाथ महादेव मंदिर में विभाग द्वारा रज्जूमार्ग लगाये जाने की योजना प्रस्तावित बाबत् उपरोक्त स्थल पर रज्जूमार्ग लाने का प्रस्ताव किस विकास योजना अथवा किस विभाग/संगठन के निवेदन पर लायी गई व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर एवं जिलामजिस्ट्रेट जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 375 दिनांक 29.03.22 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, विकास अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को कार्यालय के पत्र संख्या 142 दिनांक 07.02.2002 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई थी। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विधिक प्रकिया के तहत संबंधित [illegible] (जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर) को स्थानान्तरित कर दिया गया [illegible] आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण है अतः अपील इस [illegible] निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:35:21 IST
Reason: SelfAttested